कैबनिट ने एमएमपीएसवाई एसओपी को लागू करने की दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

8 फरवरी, 2022 को हरयिाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रमिंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री परविार समृद्धयिोजना'(एमएमपीएसवाई) के कार्यान्वयन को संशोधति स्वीकृतप्रिदान की गई।

प्रमुख बदिु

- एमएमपीएसवाई के तहत, एमएमपीएसवाई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परविारों को 270.84 करोड़ रुपए की राशजिारी की गई।
- नागरकि संसाधन सूचना वभिाग (सीआरआईडी) से प्राप्त सत्यापति आँकड़ों के अनुसार चालू वत्ति वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी, 2022 को एमएमपीएसवाई के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योतबिीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के 2,83,772 लाभार्थयिों को प्रीमयिम की प्रतपिूर्तकिे रूप में 3,54,77,472 रुपए वतिरति कयि गए।
- योजना के तहत सीआरआईडी उन परविारों का सत्यापति डेटा प्रदान करेगी जनिकी पारविारकि आय 1.80 लाख रुपए वार्षकि से कम या उसके बराबर है और जनिके पास परविार पहचान पत्र पहचान संख्या है। पात्र लाभार्थयिों की पहचान सीआरआईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से की जाएगी।
- एमएमपीएसवाई योजना के तहत, 6000 रुपए प्रतपिरविार की राशकिे लयि पात्र लाभार्थी पाँच केंद्रीय योजनाओं अर्थात् पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई का लाभ पाने के हकदार होंगे।
- 6000 रुपए की बीमा राशकिा उपयोग लाभार्थी की पात्रता के अनुसार उक्त सभी योजनाओं के प्रीमयिम का भुगतान करने के लयि कयिा जाएगा।
- केंद्र सरकार की 5 योजनाओं में से कसिी भी योजना में शामलि होने के समय लाभार्थी अंशदान की पहली कश्ित का भुगतान लाभार्थी द्वारा स्वयं कयिा जाएगा, जसिकी प्रतपिूर्तबिाद में राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- योजना को जारी रखने के कारण देय आगामी प्रीमयिम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के खातों में या बीमा कंपनी को कयिा जाएगा। तीन मानधन योजनाओं (पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई) के पात्र लाभार्थयिों के लंबति बकाया/प्रीमयिम का भुगतान भी पहली अप्रैल, 2020 से एमएमपीएसवाई के तहत कयिा जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cabinet-approves-implementation-of-mmpsy-sop